No. 432 /UN/Pragati/20.22
Date 20.12.22

(16)

UPRVUNL

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ – 226 001
CIN : U40101UP1980SGC005065

संख्या : 2807 /मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2022–06(83)–मा0सं0(04)/2022 दिनांक : 24/12/,2022

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के निदेशक मण्डल की 211वीं बैठक, जो दिनाँकः 14/12/2022 को सम्पन्न हुई, के एजेण्डा आइटम संख्या–211.37 पर लिये गये निर्णयानुसार, निगमाधीन परियोजनाओं पर स्थित आवासीय परिसर/परियोजना परिसर में वाणिज्यिक संस्थानों यथा बैंक, स्कूल, मोबाईल टॉवर आदि के संचालन हेतु भूमि/भवन को लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में निम्नवत् प्राविधानित किया जाता हैः–

1. स्कूल तथा अन्य वाणिज्यिक संस्था/प्रतिष्ठान यथा बैंक, मोबाईल टॉवर इत्यादि के संचालन हेतु पहली बार भूमि/भवन को लीज पर दिये जाने हेतु निदेशक मण्डल, उत्पादन निगम लि0 का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। लीज की अवधि 10 वर्ष की होगी। लीज के नवीनीकरण हेतु प्रबन्ध निदेशक, उत्पादन निगम लि0 अधिकृत होंगे।
2. सम्बन्धित परियोजना द्वारा एक समुचित प्रस्ताव मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को प्रेषित किया जायेगा, तथा मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) द्वारा प्रकरण के विस्तृत परीक्षणोपरान्त, प्राप्त प्रस्ताव निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। निदेशक मण्डल से अनुमोदन प्राप्त होने पर सम्बन्धित परियोजना को लीज पर भूमि/भवन आवंटित करने सम्बन्धी प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।
3. परियोजना परिसर में स्थित दुकान/खोखा/चबूतरा को लीज पर आवंटित करने तथा लीज अवधि के विस्तारण/निरस्तीकरण के लिये सम्बन्धित परियोजना प्रमुख अधिकृत होंगे।
4. लीज डीड के पंजीयन हेतु जो भी व्यय भार आयेगा, वह पूर्ण रूप से स्कूल तथा अन्य वाणिज्यिक संस्था/प्रतिष्ठान यथा बैंक, मोबाईल टॉवर इत्यादि द्वारा वहन किया जायेगा।
5. स्कूल तथा अन्य वाणिज्यिक संस्था/प्रतिष्ठान यथा बैंक, मोबाईल टॉवर इत्यादि को उपलब्ध करायी जाने वाली बिजली, पानी आदि का पूर्ण भुगतान नियमानुसार अतिरिक्त रूप से सम्बन्धित संस्थान द्वारा वहन किया जायेगा।
6. स्कूल तथा अन्य वाणिज्यिक संस्था/प्रतिष्ठान यथा बैंक, मोबाईल टॉवर इत्यादि के संचालन हेतु किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा अर्थात् प्रदत्त किये गये आवास/परिसर का स्वरूप नहीं परिवर्तित किया जा सकेगा। तथापि साज–सज्जा का कार्य संस्थान द्वारा स्वयं के वहन पर कराया जा सकता है।
7. लीज पर दिये गये भूमि/भवन का उपयोग मात्र उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिये अनुमोदन प्रदान किया गया है तथा संस्थान द्वारा लीज में प्रदत्त भूमि/भवन के अतिरिक्त अन्य किसी भूमि/भवन का अतिक्रमण किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। साथ ही आवंटित भूमि/भवन को किसी अन्य एजेंसी/व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।

8. लीज डीड में उल्लिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन करने अथवा भूमि/भवन के अनुचित उपयोग पर, निगम लीज को किसी भी समय निरस्त करने हेतु स्वतंत्र होगा तथा लीज डीड के परिप्रेक्ष्य में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रकरण का निस्तारण सम्बन्धित जिला न्यायालय/स्थानीय न्यायालय के न्यायक्षेत्र के अधीन होगा।

9. स्कूल तथा अन्य वाणिज्यिक संस्थाओं को लीज पर भूमि/भवन के आवंटन तथा लीज अवधि के विस्तारण/निरस्तीकरण सम्बन्धी समस्त प्रकरणों के निस्तारण की कार्यवाही का क्रियान्वयन वाणिज्य इकाई, शक्ति भवन, लखनऊ के माध्यम से किया जायेगा।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या : 2807/मा0सं0प्र0–04/उ0नि0लि0/2022, तद्दिनाँकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के स्टॉफ ऑफिसर।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(तकनीकी)/(वित्त)/(परियोजना एवं वाणिज्य), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के स्टाफ ऑफिसर/निजी सचिव।
4. मुख्य अभियन्ता (स्तर–I/II), अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी तापीय विद्युत परियोजना, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, अनपरा(सोनभद्र)/ओबरा(सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/हरदुआगंज, कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)।
5. मुख्य अभियन्ता (स्तर–I), 2×660 मे0वा0, जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना, जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0, मलावन(एटा)।
6. मुख्य अभियन्ता (स्तर–I/II), (मा0सं0)/(पी0पी0एम0एम0)/(तापीय परिचालन)/(ईंधन)/(पर्यावरण एवं सुरक्षा)/(जानपद–नव परियोजनाएँ)/(वाणिज्य)/(आर0एण्डएम0), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (स्तर–I), न्यू कोल ब्लॉक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टी0सी0/46–वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010।
8. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को निदेशक मण्डल की 211वीं बैठक के एजेण्डा आइटम संख्या–211.37 के संदर्भ में प्रेषित।
9. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टीसी/46वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010 को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. कट् फाइल।

आज्ञा से,

24.12.22

(डी0 के0 शर्मा)

अधीक्षण अभियन्ता(मा0सं0–04)